



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

Pension14/I/10-11/

दिनांक / Dated :

date: 14.07.2010

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

- Sub: I. Forwarding of Special Seal Authority regarding.
- Consolidation of Pension/Family Pension of Pensioners/Family Pensioners retired/died after 01.01.2006.
 - Dearness Relief to M.P. Government pensioners/Family Pensioners – Revised rates 19% w.e.f. 01.11.2009 and 22% w.e.f. 01.01.2010 and
- II. Letter regarding.
- Payment of arrears to pensioner/family pensioners retired on or after 01.01.2006 –Revision of pension/family pension to employee died on or after 01.01.2006.
 - Sanction of Dearness Relief w.e.f 01.04.2010 @ 25% and from 01.07.2010 @ 27% on the pension of pensioners of the State of Madhya Pradesh —Reg.

- Ref: I. Office of the Accountant General (A&E) – II Madhya Pradesh, Gwalior (M.P) Special Seal Authority No:
- PAI/General/S.S.77/3178-3212 dt.09.10.2009
 - PAI/General/S.S.77/6546-6580 dt.24.02.2010
- II. Government of Bhopal, Finance Department, letter No:
- F9/2/2009/Rule/IV dt.09.03.2010
 - F4-4/2010/Rule/IV dt.06.05.2010

* * *

I am herewith enclosing a copy of Special Seal Authorities issued by the Office of the Accountant General (A&E) – II Madhya Pradesh, Gwalior (M.P) and letters issued by the Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Bhopal in the reference cited. The same are being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Vivek Rane
Accounts Officer 14/7/10

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

Spl Seal

①

प्रदेशीय गवर्णर (म.प्र.)
PRADESHI GWARNOR (M.P.)

No. PAI/General/S.S.-77/3178-3212

20 OCT 2009

Dated: 09-10-2009

To,

आ. प्र. संस्था-६०० ००६.
A.P. HYDERABAD-500 014

14 OCT 2009

✓ Accountant General (A.&E.)
Andhra Pradesh,
Hydrabad.....

Sub: Regarding- Consolidation of Pension/ Family Pension of Pensioners/ Family Pensioners retired/ Died before 01-01-2006 and Revision of pension/family pension of pensioners/family pensioners retired/died after 01-01-2006.

Sir,

I am to enclose herewith Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal. Order No.F9/ 2/2009/ R/ IV (Part-I & Part.II) dated 3rd August, 2009 regarding the above subject, and to state that instructions contained therein may be followed strictly. All the pension disbursing authorities in the district may be directed suitably to pay the above Consolidated of Pension/ Family Pension of the Pensioners/ Family Pensioners retired/ died before 01-01-2006 and Revision of pension/family pension of pensioners/family pensioners retired/died after 01-01-2006 without delay. Sufficient Copies of the above orders have been supplied to you directly by the Government of Madhya Pradesh.

Encl: As above

A. Chandra

Yours faithfully

Accounts Officer/ PAI

Encl. No. PAI/General/S.S.-77/3178-3212

Dated: 09-10-2009

Copy forwarded to: -

1. Government of Madhya Pradesh Finance Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal (M.P.)

02/10/09

44350
20/10/09

Government of Madhya Pradesh
Finance Department
Mantralaya
Vallabh Bhawan
Bhopal

No.F9/2/2009/R/IV (Part-1)

Bhopal Dated 3rd August, 2009

To,

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue, Gwalior,
All Head of Departments,
All Commissioners,
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject: - Consolidation of pension/family pension of the pensioners / family pensioners retired / died before 01-01-2006.

As the State Government have revised the pay scales of its employees with effect from 1st January, 2006 vide Finance Department's Notification No.F8/2009R/IV, dated 28-02-2009, the pension / family pension of the pensioners retired / died before 01-01-2006 is revised as follows :-

- 1.1 The amount of basic pension (before commutation) / family pension, without dearness pension and dearness relief, as on 31st August, 2008 multiplied by 2.26 shall be the consolidated amount payable with effect from 1st September, 2008 (paid in October, 2008).
- 1.2 The minimum pension / family pension shall be Rs.3,025/- per month and the additional pension payable to old pensioners / old family pensioners will be in addition to this.
- 1.3 The additional pension payable to old pensioners / family pensioners shall be as per table given below: -


Age of Pensioner / Family pensioner	Additional Pension
80 years to less then 85 years	20 % of basic pension / family pension
85 years to less then 90 years	30 % of basic pension / family pension
90 years to less then 95 years	40 % of basic pension / family pension
95 years to less then 100 years	50 % of basic pension / family pension
100 Years or above	100% of basic pension / family pension

The additional pension will be sanctioned by the pension disbursing authority and no separate pension payment order (PPO) would be necessary. The Additional pension shall be indicated separately in the PPO. For the retired employee, the date of birth as mentioned in the PPO shall form the basis of sanction for additional pension. For the family pensioner, the proof of date of birth shall be obtained before the sanction of additional pension. The benefit of the additional pension shall be paid from the month next to the month, in which the qualifying age is attained. The amount of the additional pension shall be based on the basic pension as payable in the previous month, but in case of those who have attained the qualifying age prior to 01-09-2008 as given in para 1.3 above the additional pension will be paid after revision, from the month of September, 2008 (paid in Oct. 08).

2. In case, the pensioner / family pensioner is in receipt of more than one pension / family pension, then the limit of minimum pension of Rs.3,025/- per month shall be applicable to each pension separately.
3. In case of appointment or reappointment of the pensioners only the pension / family pension shall be consolidated and no dearness relief shall be paid.
4. The State Government have issued instructions vide Finance Departments memo No F9/9/2006/rule/IV dated 05-01-2007 for the restoration of 1/3rd portion of the commuted pension of the state government employees who have been absorbed later on in state government corporations / undertakings / autonomous bodies / boards etc. Of such employees only the 1/3rd portion of the commuted pension shall be consolidated. The conditions of the Finance Departments above memo dated 05-01-2007 shall apply.
5. The amount of pension / family pension, and 50% dearness pension, 47% dearness relief and 10% interim relief as sanctioned by Finance Departments memo Nos. F4/2/2007/R/IV, dated 10th April 2007, F-4/1/2008/R/IV, dated 30-07-2008 and F-9/3/2008/R/IV, dated 24-09-2008 respectively, shall be adjusted against the payments of arrears of revised consolidated pension / family pension.
6. The revision of pension / family pension shall be done by the paying branch of the public sector bank from where the pension / family pension is being drawn and make the entry of payable amount in both halves of PPO. In case of pension / family pension drawn from district treasury or sub treasury this work will be carried out by them respectively.
7. The pension disbursing authority or paying bank branch shall ensure that the

8. The fraction of rupee of the amount of consolidated pension / family pension shall be rounded off to the next rupee.
9. The amendments due to revision of pension / family pension in M.P.Civil Services (Pension) Rule, 1976, M.P. (Work Charged and Contingency paid Employees) Pension Rule, 1979 shall be issued separately.
10. The consolidated pension / family pension as worked out in accordance with the provision of para 1 shall be treated as final basic pension with effect from 01-09-2008 and shall qualify for grant of dearness relief sanctioned thereafter. /The dearness relief at the rate of 12% shall be payable with effect from 1st September, 2008(paid in Oct-08) and at the rate of 16% from 1st July, 2009(paid in Aug-09). The additional pension shall also qualify for dearness relief at above rates. Other terms and conditions for giving dearness relief shall be applicable as per dearness relief orders as circulated earlier.
11. The audit of consolidated pension / family pension worked out by the paying bank branch shall be carried out by the concerned district treasury officer.
12. Ready reckoner for the purpose of consolidation of pension / family pension is enclosed hereby. Column 1 of the ready reckoner indicates the pre-revised basic pension / family pension.

By order and in the name of
Governor of Madhya Pradesh



(Milind Waikar)

Deputy Secretary
Madhya Pradesh, Finance Department

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II MADHYA PRADESH, GWALIOR (M.P.)

No.PAI/General/SS/ 6546-6580

Dated: 24/02/2010

To,

The Accountant General (A&E)

Madhya Pradesh

Hydrabad



Sub: - Regarding-Dearness Relief to M.P.Govt. pensioners/Family Pensioners-Revised rates 19% w.e.f. 1/11/2009 and 22% w.e.f.01/01/2010.

Sir,

I am to enclose herewith Government of Madhya Pradesh, Finance Department, Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal, Order No.F-4/ 4/ 2009/ Rule/ 4 dated 09/ 12/ 2009 regarding the above subject, and to state that instructions contained therein may be followed strictly. All the pension disbursing authorities in the district may be directed suitably to pay the above of the Madhya Pradesh Govt. Pensioners and Family Pensioners without delay. Sufficient copies of the above orders have already been supplied to you directly by the Government of Madhya Pradesh.

The receipt of the order may please be acknowledged.

Encl: - As above

Yours faithfully

7 chander

Accounts Officer/PAI

Endt. No. PAI/ General/ 6546-6580

Dated: 24/02/2010

Copy forwarded to:-

1. Under Secretary Government of Madhya Pradesh Finance Department, Mantralaya, Vallabh Bhavan, Bhopal (M.P.)

7 chander

61676
3/3/10

F-14
2497
26/2

Government of Madhya Pradesh

Finance Department

Mantralaya - Bhopal

No.F 4/4/2009/Rule/IV

Bhopal, dated 09 December, 2009

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Madhya Pradesh.

---***---

The State Government had sanctioned 12% dearness relief w.e.f. 01.09.2008 and 16% dearness relief w.e.f. 01.07.2009 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 9/2/2009/Rule/IV dated 03 August, 2009. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01.11.2009 (Pension/family pension for the month of November, 2009 paid in December, 2009)	19 % of Pension/family pension
w.e.f. 01.01.2010 (Pension/family pension for the month of January, 2010 paid in February, 2010)	22 % of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's Memo No.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5-10-76 . The dearness relief on the pension /family pension shall not be payable in the cases where the pensioners/ family pensioners are appointed/re- appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo No.F.B.6/10/76/R-II/IV, dated 27-7-76 read with Memo No. No.F.B.6/10/77/R-II/IV, dated 2-5-77 and Memo No. F-12-5/2007/Rule/IV dated 19-4-2007


3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).

4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc. and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.

5. Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.

6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Madhya Pradesh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh


(Milind Waiker)

Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

50 copy

70. mo.

मध्यप्रदेश शासन M.P.
वित्त विभाग Finance Dept.
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल Bhopal.

क्रमांक : एफ 9/2/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 9 मार्च, 2010

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

71941
03/05/10

विषय :- दिनांक 1-1-2006 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त / दिवंगत कर्मचारियों की पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन के एरियर्स का भुगतान बावत् ।

---00---

राज्य शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ-9/2/2009/नियम/चार (भाग-2) दिनांक 03/08/2009 द्वारा दिनांक 01/01/2006 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवकों की पेंशन / परिवार पेंशन के पुनरीक्षण के जारी निर्देश में दिनांक 31/08/2008 के पश्चात सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन परिलब्धियों का निर्धारण ही किया गया है । अब राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01/01/2006 से दिनांक 31/08/2008 की अवधि में सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवकों की पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन के एरियर का भुगतान निम्नानुसार किया जाये :-

- (अ) वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-9/2/2009/नियम/चार (भाग-2) दिनांक 03/08/2009 के प्रावधानों के तहत पेंशन / परिवार पेंशन का निर्धारण / पुनरीक्षण किया जायेगा ।
- (ब) मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि का निर्धारण करने के लिये अंतिम माह का मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) गणना में लिया जायेगा । 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पर 16½ (साढ़े सोलह) माह की उपलब्धियों अथवा राशि रुपये 10 लाख जो भी कम हो, देय होगी ।
- (स) उपर्युक्त अनुसार निर्धारित / पुनरीक्षित पेंशन / परिवार पेंशन तथा मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपादान का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये भुगतान को समायोजित करते हुये किया जावेगा । पेंशन / परिवार पेंशन की देय राशि की गणना में (दिनांक 01/01/06 से 31/08/08 तक) मँहगाई राहत शून्य रहेगी ।

Payment of Arrears to pensioners retired
on or after 1.1.2006, Revision of pension/
family pension to ~~deceased~~ employees
who died on or after 1.1.2006

- (द) छठवें वेतनमान में निर्धारित वेतन के आधार पर संबंधित कार्यालय द्वारा सेवानिवृत्त / दिवंगत शासकीय सेवक को अवकाश नगदीकरण का भुगतान (यदि पूर्व में भुगतान किया गया हो तो उसको समायोजित करते हुये) किया जाएगा। अर्जित अवकाश नगदीकरण के लिये मूल वेतन (वेतन बैंड में वेतन + ग्रेड पे) मासिक उपलब्धियाँ माना जायेगा।
- (इ) पेंशन सारांशीकरण का पुनर्निर्धारण भी छठवें वेतनमान में निर्धारित वेतन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा(पेंशन का कम्प्यूटेशन) नियम 1996 के नियम 8 के तहत मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-8-98/pwc/चार, दिनांक 7.2.2000 द्वारा जारी संशोधित सारणी (राजपत्र दिनांक 18.02.2000 में प्रकाशित) के अनुसार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी. पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग


1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल (200/100 प्रतियां)।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल।
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवनमण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्ट्स डिपार्टमेण्ट्स, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां)
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (300 प्रतियां)
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर-492001, (100 प्रतियां)
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां)
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां)
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र , रीजनल ऑफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां)
34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल -462024 (10 प्रतियां)
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, 20 स्नेहनगर, इन्दौर-452001 (65 प्रतियां)
36. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, 1227 नेपीयर टाऊन, जबलपुर-482001 (65 प्रतियां)
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस, मदीना मजिल, कचहरी चौक, जेलरोड, रायपुर-492001 (65 प्रतियां)

38. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,12-12ए, अनुपनगर,एल.आई.सी.बिल्डिंग,एम.आई.जी.चौराहा,इन्दौर-452001(55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,गुरुनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास,नेपियर टारुन जबलपुर-482001(55 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,सिरमोर चौराहा,इलाहाबाद रोड,पोस्ट बाक्स नम्बर-10 , रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक,यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया,क्षेत्रीय कार्यालय,पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्पलेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा,रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रपिहित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रपिहित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।

42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर,गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चैनई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता,700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्तांक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001
(सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001
(100 प्रतियां)
68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (250 प्रतियां)
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिझोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां)

72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां)
74. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, झोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैन्नई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैन्नई , 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गौटन कैसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001(200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101(20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तरांचल, देहरादुन 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विप, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एटेंची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां) ।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)




(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार, -2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001 (75 प्रतियां)
74. प्रधान महालेखाकार, -1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गौटन कैसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001(200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101(20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तरांचल, देहरादुन 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विप, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), नौस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एट्टेची (पेंशन) भारतीय दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां) ।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)



(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव,

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-4/2010/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 06 मई, 2010

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश ।

विषय- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकार करने के संबंध में ।

*** **

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4/4/2009/नियम/चार दिनांक 09 दिसम्बर 2009 द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर दिनांक 01 नवम्बर 2009 से 19% की दर से तथा दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 22% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की गई है।

राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के पेंशनर/परिवार पेंशनरों को निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की जाये। वृद्ध पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 1.4.2010 (माह अप्रैल, 2010 की पेंशन/परिवार पेंशन जो मई, 2010 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 25%
दिनांक 1.7.2010 (माह जुलाई, 2010 की पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2010 में देय होगी)	पेंशन/परिवार पेंशन का 27%

2/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation) पेंशन पर देय होगी । सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकम्पा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी इस मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी.6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 5-10-76 के प्रतिबंधों के अधीन देय होगी । ऐसे मामलों में जहां पेंशन/परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन या किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त / पुनर्नियुक्त है, वहां पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । कोई व्यक्ति

यदि उसके पति / पत्नि की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी । यदि किसी व्यक्ति को उसके पति / पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी । इस संबंध में वित्त विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.बी.6/10/76/नियम-2/चार, दिनांक 27-7-76 सहपठित ज्ञापन एफ.बी.6/10/77/नि-2/चार, दिनांक 2-5-77 एवं ज्ञापन क्रं. एफ 12-5/2007/नियम/चार दिनांक 19 अप्रैल, 2007 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।


3/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी ।

4/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लागू होंगे, जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं ।

5/ महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा ।

6/ राज्य शासन के समस्त कोषालय अधिकारियों /उप कोषालय अधिकारियों/पेंशन वितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग के पृ.क्रं. ई-4/1-83/नि-5/चार, दिनांक 29 जनवरी, 1983 के अनुसार मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग-1 के सहायक नियम 347 के संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनर्स को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत महंगाई राहत का शीघ्र भुगतान करें । भुगतान उपरान्त पूर्वानुसार महालेखाकार, मध्यप्रदेश से प्राधिकार प्राप्त होने पर महंगाई राहत की राशि का मिलान कर लिया जाये । यदि कोई विसंगति दृष्टिगोचर होती है तो उसका समायोजन आगामी माह के भुगतान में कर लिया जावे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मिलिन्द वाईकर)

उप सचिव

म.प्र. शासन, वित्त विभाग

69
250 Cop

68. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, राजकोट 360 001 (100 प्रतियां)
69. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (250 प्रतियां) ✓
70. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) आंध्र प्रदेश, हैद्राबाद, 500 463 (50 प्रतियां)
71. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) मेघालय, मिझोरम, अरूणाचल प्रदेश, शिलांग 793 001(20 प्रतियां)
72. महालेखाकार, (लेखा एवं हक).मणीपूर, इम्फाल 795 001 (20 प्रतियां)
73. प्रधान महालेखाकार,-2, (लेखा एवं हक) बिहार, बिरचंद पटेल मार्ग, पटना 800 001(75 प्रतियां)
74. प्रधान महालेखाकार,-1, (लेखा एवं हक) झारखण्ड, डोरण्डा पो. रांची 834 002 (35 प्रतियां)
75. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) केरल, पो. बाक्स नं. 5607, तिरुवनन्तपुरम 695 039 (240 प्रतियां)
76. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई, 600 018 (150 प्रतियां)
77. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) तमिलनाडु, चैनई , 600 018 (100 प्रतियां)
78. महालेखाकार-1, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, 101 महर्षि कर्वे रोड ,मुंबई , 400 020 (100 प्रतियां)
79. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) महाराष्ट्र, सिविल लाईन्स, नागपुर 440001(100 प्रतियां)
80. महालेखाकार-2, (लेखा एवं हक) कर्नाटक, रेसीडेन्सी पार्क रोड, बंगलोर 560 002(150 प्रतियां)
81. महालेखाकार, (लेखा एवं हक)उडिसा, भुवनेश्वर, 751 001 (150 प्रतियां)
82. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) पंजाब, चंडीगढ़, 160 017 (70 प्रतियां)
83. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हरियाणा, लेखा भवन, प्लॉट नं. 4 व 5 सेक्टर, 33 बी चंडीगढ़, 160 047 (60 प्रतियां)
84. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल भवन, शिमला 171 003 (150 प्रतियां)
85. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, भगवान दास मार्ग, जयपुर 302 001 (200 प्रतियां)
86. महालेखाकार -3, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, लखनऊ, 226 001 (50 प्रतियां)
87. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) उत्तर-प्रदेश, इलाहाबाद, 211 001 (200 प्रतियां)
88. महालेखाकार -2, (लेखा एवं हक) पश्चिम-बंगाल, ट्रेजरी बिल्डिंग, कोलकाता 700 001(200 प्रतियां)
89. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) जम्मू एवं काश्मिर, श्रीनगर, 190 001 (50 प्रतियां)
90. महालेखाकार, त्रिपुरा, अगरतला, 799 001 (25 प्रतियां)
91. महालेखाकार, नागालैण्ड, कोहिमा 797 001 (50 प्रतियां)
92. वरिष्ठ उप -महालेखाकार, (लेखा एवं हक) सिक्किम, लकार भवन, गान्तोक 717101(20 प्रतियां)
93. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) उत्तरांचल, देहरादुन 248 001 (200 प्रतियां)
94. संचालक, लेखा (पेंशन शाखा) गोवा दमन द्विव, पो. पणजी 403 101 (15 प्रतियां)
95. वेतन एवं लेखा अधिकारी, अंडमान एवं निकोबार द्विप, पोर्टब्लेयर 744 011 (50 प्रतियां)
96. वेतन एवं लेखा अधिकारी, क्रमांक 5 (पेंशन), तीस हजारी, दिल्ली 110 006 (30 प्रतियां)
97. सहायक मिलीट्री एटैची (पेंशन) भारतीस दूतावास, काठमाण्डू, नेपाल -1 महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी 2) ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां) ।
98. मुख्य नियंत्रक एवं महालेखाकार, भारत सरकार, नई दिल्ली 110 001 महालेखाकार ग्वालियर के माध्यम से (10 प्रतियां)
99. नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली 110 001 (50 प्रतियां)
100. महालेखाकार (लेखा एवं हक) छत्तीसगढ़, रायपुर 492 001 (200 प्रतियां)
101. संचालक, पेंशन संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर, 492 001 (200 प्रतियां)

20/10/10

82853
13/10/10


(डी.के.सक्सैना)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

Government of Madhya Pradesh

Finance Department

Mantralaya - Bhopal

No.F 4-4 /2010/Rule/IV

Bhopal, dated 06 May, 2010

To,

All Department of Government
The President of Board of Revenue, Gwalior,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Department,
All Collectors,
Madhya Pradesh

Sub - Sanction of dearness relief on the Pension of the Pensioners of the State of Madhya Pradesh.

--***--


The State Government had sanctioned 19% dearness relief w.e.f. 01.11.2009 and 22% dearness relief w.e.f. 01.01.2010 on pension/family pension to their pensioners/family pensioners vide Finance Department Memo No. F 4/4/2009/Rule/IV dated 09 December, 2009. The State Government has now decided that the dearness relief admissible to pensioners should be sanctioned as given below. The additional pension shall also qualify for dearness relief.

Period	Rate of Dearness relief per month
w.e.f. 01.04.2010 (Pension/family pension for the month of April, 2010 paid in May, 2010)	25 % of Pension/family pension
w.e.f. 01.07.2010 (Pension/family pension for the month of July, 2010 paid in August, 2010)	27 % of Pension/family pension

2. The above dearness relief shall be payable on the Superannuation, Retiring, Invalid and Compensation Pension. This dearness relief shall also be payable on the Compassionate Allowance sanctioned to the employees discharged or removed from service and the said dearness relief shall also be payable to persons receiving family pension and extra ordinary pension under the restrictions contained in the Finance Department's MemoNo.F.B.6/43/76/R-II/IV dated 5-10-76 . The dearness relief on the pension /family pension shall not be payable in the cases where the pensioners/ family pensioners are appointed/re- appointed under the State Government or autonomous institutions. This relief on family pension shall be payable in cases where a person at the time of the death of the spouse was in service and was not appointed on compassionate grounds. This relief on family pension shall not be payable in cases where a person on account of the death of the spouse has been appointed on compassionate grounds. In this connection attention is invited to the provisions contained in Finance Department's Memo

3. Pensioners, who have commuted a part of their pension, shall be paid the dearness relief on their original pension (pension before commutation).
4. This order shall be applicable in respect of State Government employees who had drawn lump sum amount on absorption in PSU/Autonomous body/Board /Corporation etc and have become eligible to restoration of 1/3rd commuted portion of pension in terms of this Department's memo No. F 9/9/2006/Rule/IV dated 5-1-2007.
5. Fraction of rupee of the amount to be paid as dearness relief shall be rounded off to the next rupee.
6. All Treasury Officers/Sub Treasury Officers/ Pension Disbursing Officers are directed to make payment of the above sanctioned dearness relief to State Government Pensioners early, keeping in view the amended provisions of S.R.347 of the M.P.T.C. Volume-1, issued vide Finance Department's endorsement No.E.-4/1/83/R-V/IV, dated 29th January, 1983. After payment of dearness relief the same may be got checked from the usual payment authority received from the Accountant General, Madhya Pradesh. If some inaccuracy/discrepancy comes to the notice, the same may be adjusted in the payment on next month.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh



(Milind Waiker)
Deputy Secretary,
Government of Madhya Pradesh
Finance Department

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन, पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
10. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
11. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर (100 प्रतियां)।
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
14. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
15. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन, विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्यलेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल।
16. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल।
17. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
18. संचालक, पेंशन, 26 किसान भवनमण्डी बोर्ड परिसर, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011.
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश।
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
21. सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
22. मुख्य लेखाधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नमेण्ट एण्ड बैंक एकाउण्टस डिपार्टमेण्टस, सी-7, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, पोस्ट बैग नं. 8143, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई- 400051, (100 प्रतियां)।
23. सहायक मुख्य प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शासकीय लेन-देन, लोकल हेड ऑफिस, पोस्ट बैग नं.-6, मैदामिल के सामने, भोपाल -462012, (10 प्रतियां)।
24. उप महाप्रबंधक, वित्त एवं लेखा, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, मुख्यालय, 5-यशवंत निवास रोड, इंदौर -452001, (10 प्रतियां)।
25. जोनल मैनेजर, बैंक ऑफ इण्डिया, एम.पी.जो, बैंक ऑफ इण्डिया हाऊस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (300 प्रतियां)।
26. चीफ मैनेजर, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल- 462011, (200 प्रतियां)।
27. उप मुख्य प्रबंधक, , सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, जोनल ऑफिस, बम्बई मार्केट, प्रथम तल, सी-विंग, जी.ई.रोड, रायपुर- 492001, (100 प्रतियां)।
28. मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, जोनल ऑफिस, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल-462011 (75 प्रतियां)।
29. चीफ मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, गौतम नगर, भोपाल-462011, (300 प्रतियां)।
30. सहायक मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, रीजनल ऑफिस, 107, प्रथम तल, बैरसिया रोड, भोपाल-462001, (200 प्रतियां)।
31. सहायक मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रीजनल ऑफिस, 1/14 जेल रोड, एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011, (150 प्रतियां)।
32. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, आरसीसी1/4 जेल रोड एडमिनिस्ट्रेटिव काम्प्लेक्स प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल -462011, (45 प्रतियां)।
33. सहायक मुख्य प्रबंधक, यूको बैंक, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016, (150 प्रतियां)।

34. मुख्य प्रबंधक, सेंट्रल कम्प्यूटर प्रोसेसिंग सेंटर, गोविन्दपुरा, भोपाल-462024 (10 प्रतियां)
35. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 20 स्नेहनगर, इन्दौर-452001 (65 प्रतियां)
36. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, 1227 नेपीयर टाऊन, जबलपुर-482001 (65 प्रतियां)
37. क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल आफिस, मदीना मंजिल, कचहरी चौक, जेलरोड, रायपुर-492001 (65 प्रतियां)
38. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, 12-12ए, अनूपनगर, एल.आई.सी.बिल्डिंग, एम.आई.जी.चौराहा, इन्दौर-452001 (55 प्रतियां)
39. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरूनानक मार्केट ज्योति टाकीज के पास, नेपियर टाऊन जबलपुर-482001 (55 प्रतियां)
40. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, सिरमोर चौराहा, इलाहबाद रोड, पोस्ट बाक्स नम्बर-10, रीवा-486001 (60 प्रतियां)
41. क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नम्बर 23 महावीर काम्प्लेक्स, के.के. रोड, मौधपाड़ा, रायपुर (छत्तीसगढ़) (40 प्रतियां)

की ओर वित्त विभाग के पृ.क्र.ई-4-1/81/नि.-2/चार, दिनांक 22.11.82 के अनुक्रम में अग्रेषित कर निवेदन है कि वे कृपया अपने अधीनस्थ सभी बैंक शाखाओं को इस आदेश की प्रति मय सहपत्र के इस निर्देश के साथ अग्रेषित करें ताकि राज्य शासन द्वारा स्वीकार की गई राहत राशि का भुगतान सिविल पेंशनरों को यथासंभव शीघ्र हो सके (क्रमांक 23 से 41 हेतु) ।

42. वित्त सचिव, गुजरात शासन, मंत्रालय, गांधीनगर, गुजरात-382 010
43. वित्त सचिव, आंध्र प्रदेश शासन, मंत्रालय, हैद्राबाद-500 001
44. वित्त सचिव, असम शासन, शिलांग, 793 001
45. वित्त सचिव, बिहार शासन, मंत्रालय, पटना, 800 001
46. वित्त सचिव, झारखण्ड शासन, मंत्रालय, रांची, 834 002
47. वित्त सचिव, केरल शासन, मंत्रालय, तिरुवनन्तपुरम, 695 039
48. वित्त सचिव, तमिलनाडू शासन, मंत्रालय, चैन्नई, 600 018
49. वित्त सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 400 020
50. वित्त सचिव, कर्नाटक शासन, मंत्रालय, बंगलोर, 560 001
51. वित्त सचिव, उडिसा शासन, मंत्रालय, भुवनेश्वर, 751 001
52. वित्त सचिव, पंजाब शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
53. वित्त सचिव, हरयाणा शासन, मंत्रालय, चंडीगढ़, 160 017
54. वित्त सचिव, हिमाचल-प्रदेश शासन, मंत्रालय, शिमला, 171 003
55. वित्त सचिव, राजस्थान शासन, मंत्रालय, जयपुर, 302 001
56. वित्त सचिव, उत्तर-प्रदेश शासन, मंत्रालय, लखनऊ, 226 001
57. वित्त सचिव, पश्चिम-बंगाल शासन, मंत्रालय, कोलकाता, 700 001
58. वित्त सचिव, जम्मू एवं काश्मिर शासन, मंत्रालय, श्रीनगर, 190 001
59. वित्त सचिव, मणीपुर शासन, मंत्रालय, इम्फाल, 795 001
60. वित्त सचिव, त्रिपुरा शासन, मंत्रालय, अगरतला, 799 001
61. वित्त सचिव, नागालैण्ड शासन, मंत्रालय, कोहिमा, 797 001
62. वित्त सचिव, दिल्ली शासन, मंत्रालय, नई दिल्ली, 110 001
63. वित्त सचिव, गोवा-दिव एवं दमण शासन मंत्रालय, पणजी गोवा, 403 101
64. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर, 492 001
65. वित्त विभाग, सिक्किम शासन, मंत्रालय, गान्तांक, 717 101
66. वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन, मंत्रालय, देहरादुन-248 001 (सरल क्रमांक 42 से 66 तक 2 प्रतियों सहित)
67. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) गुजरात, 5 वां मंजिल, सी ब्लॉक, बहु मंजिली भवन, लाल दरवाजा, अहमदाबाद 380 001 (100 प्रतियां)